FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0112 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 09/05/2025 19:35 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 07/05/2025 **Date To (दिनांक तक):** 08/05/2025

      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:00 बजे **Time To (समय तक):** 13:50 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 09/05/2025 **Time (समय):** 16:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 09/05/2025 19:35:38 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित
5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 430 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b)**Address(पता):** KIRAYE KA AAVAS ME SANCHALIT, PATWAR HALKA LOYARA, JILA UDAIPUR

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): ANKIT RANKAVAT

(b) Father's Name (पिता का नाम): SAMPAT KUMAR RANKAVAT

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1990 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	C 16, UNIVERSITY ROAD, ADARSH NAGAR, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	C 16, UNIVERSITY ROAD, ADARSH NAGAR, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	PRIYANKA		पति:MANISH NALVAYA	1. SECTOR NO.14 BLOCK 2,396,GOVERDHAN VILLAS,UDAIPUR,RAJASTHAN,I

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		8,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)** 8,000.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान् पुलिस निरीक्षक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग इन्टें, उदयपुर। विषय कानूनी कार्यवाही करवाने के संबंध में। महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि आज से करीब 7-8 माह पूर्व में पहवार हल्का लोयरा में हाथीधरा क्षेत्र में मेरी पत्नी विजेता जोषी व मेरे दोस्त (रिश्तेदार) की पत्नी सोनम गौतम के नाम अलग अलग भू खण्ड क्रय किये गए थे जिसकी रजिस्ट्री भी करवा चुके है, उक्त कृषि भूखण्ड का नामांतरण खुलवाने हेतु मैं मेरी पत्नी व मेरे दोस्त की पत्नी सोनम गौतम के अलग रजिस्ट्री की फोटो कॉपी लेकर पटवार हल्का लोयरा में पटवारी प्रियन्का जी से 15-20 दिन पूर्व उनसे जाकर मिला और दोनो भू-खण्डों की रजिस्ट्री की फोटो प्रतियां उनको दी तथा नामान्तरण के लिये कहा तो उन्होने मुझे कहा कि दोनों भू-खण्डों का नामांतरण तब ही खुलेग। जब आप मुझे खर्चे पानी के दोनो रजिस्ट्री के 8000 रू. दोगे। इस पर मैंने उनको काफी निवेदन किया फिर भी उन्होने कहा कि तुम पैसे अभी सामने स्थित ई-मित्र वाले के ऑनलाईन ट्रान्सफर कर दो और वहां से नगद लाकर मुझे दे दो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। नही तो ये रजिस्ट्रीयां यही पड़ी रहेगी। उन्होने मेरी पत्नी व मेरे दोस्त दिनेश शर्मा की पत्नी सोनम गौतम के काम की मूल रजिस्ट्रीयां भी उनके पास रख ली तथा कहा कि 8000 रू. दोगे तब ही तुम्हारा काम करके ये रजिस्ट्रीयां दूंगी। मेरे दोस्त श्री दिनेश शर्मा ने भी पटवारी प्रियन्का के विरूद्ध कार्यवाही कराने की मुझे अपनी सहमति दी है। उसके बाद मैं मेरे आवश्यक कार्य में व्यस्त हो गया था मैं उन्हे रिश्वत राशि नही देना चाहता हू । उन्हे रंगे हाथों पकड़वाने की कार्यवाही करवाना चाहता हू। रिपोर्ट पेश है। 07.05.2025 अंकित रांकावत (विक्रम सिंह गवाह) (मोहनलाल भील गवाह) एसडी कार्यवाही पुलिस दिनांक 07-05-2025 समय करीब 11.00 ए.एम. ब्यूरो कार्यालय इन्टे उदयपुर पर परिवादी श्री अंकित रांकावत पुत्र श्री सम्पतकुमार उम्र 35 वर्ष निवासी गांव सुजानगढ़ जिला चूरू हाल निवासी मकान नम्बर सी-16 आदर्शनगर यूनिवर्सिटी रोड़ उदयपुर ने उपस्थित होकर स्वयं हस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि " आज से करीब 7-8 माह पूर्व में पटवार हल्का लोयरा में हाथीधरा क्षेत्र मे मेरी पत्नी विजेता जोषीव मेरे दोस्त (रिश्तेदार) की पत्नी सोनम गौतम के नाम से अलग-अलग भू-खण्ड क्रय किये गये गए थे। जिसकी रजिस्ट्री भी करवा चूके है। उक्त कृषि भूखण्ड का नामांतरण खुलवाने हेतु मैं मेरी पत्नी व मेरे दोस्त की पत्नी सोनम गौतम के अलग रजिस्ट्री की फोटो कॉपी लेकर पटवार हल्का लोयरा में पटवारी प्रियन्का जी से 15-20 दिन पूर्व उनसे जाकर मिला और दोनो भू-खण्डों की रजिस्ट्री की फोटो प्रतियां उनको दी तथा नामान्तरण के लिये कहा तो उन्होने मुझे कहा कि दोनों भू-खण्डों का नामांतरण तब ही खुलेग। जब आप मुझे खर्चे पानी के दोनो रजिस्ट्री के 8000 रू. दोगे। इस पर मैंने उनको काफी निवेदन किया फिर भी उन्होने कहा कि तुम पैसे अभी सामने स्थित ई-मित्र वाले के ऑनलाईन ट्रान्सफर कर दो और वहां से नगद लाकर मुझे दे दो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। नही तो ये रजिस्ट्रीयां यही पड़ी रहेगी। उन्होने मेरी पत्नी व मेरे दोस्त दिनेष शर्मा की पत्नी सोनम गौतम के काम की मूल रजिस्ट्रीयां भी उनके पास रख ली तथा कहा कि 8000 रू. दोगे तब ही तुम्हारा काम करके ये रजिस्ट्रीयां दूंगी। मेरे दोस्त श्री दिनेश शर्मा ने भी पटवारी प्रियन्का के विरूद्ध कार्यवाही कराने की मुझे अपनी सहमति दी है। उसके बाद मैं मेरे आव्श्यक कार्य में व्यस्त हो गया था मैं उन्हे रिश्वत राशि देना चाहता हूँ। उन्हे रंगे हाथों पकड़वाने की कार्यवाही करवाना चाहता हुं। रिपोर्ट पेश है। " मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी अंकित रांकावत द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित प्रार्थना पत्र को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा शब्द ब शब्द पढ़कर सुनाया गया तो परिवादी द्वारा सही होना एवं प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित एवं स्वय के हस्ताक्षरित होना स्वीकार किया। परिवादी द्वारा अपनी पहचान के सम्बन्ध में स्वयं का आधार कार्ड कार्ड पेश किया जिसे बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही किया गया। उक्त लिखित रिपोर्ट का अवलोकन करने से मामला रिश्वत राशि लेन देन का पाया गया। जिस पर परिवादी से दरियाफत की गई तो उसने बताया कि मेरे दोस्त दिनेश शर्मा जो कि मेरे अच्छे मित्र है और अभी वर्तमान में पिण्डवाड़ा जिला सिरोही में निवासरत है तथा पूर्व में उदयपुर हम पास-पास ही रहते थे, मेरे दोस्त की पत्नी श्रीमती सोनम गौतम व मेरी पत्नी के नाम अलग अलग कृषि भूखण्ड क्रय किये थे। जिसकी रजिस्ट्री हुई उक्त कृषि भूखण्ड का नामातन्तरण खुलवाने हेतु मेरा दोस्त दिनेष शर्मा ने मुझे उसकी रजिस्ट्री दी थी क्योंकि वह वर्तमान में उदयपुर में निवास नही करते है तत्पष्चात् मै, मेरी पत्नी व मेरे दोस्त की पत्नी श्रीमती सोनम गौतम के साथ अलग अलग रजिस्ट्री की फोटो प्रति लेकर पटवार हल्का लोयरा में पटवारी श्रीमती प्रियंका जी से 15-20 दिन पूर्व उनसे मिले थे और दोनो भूखण्ड की फोटो प्रतियां उनको दी तथा नामान्तरण के लिये कहा तो उन्होने मुझे कहा कि दोनो भूखण्डो का नामातन्तरण तभी खुलेगा जब आप मुझे खर्च पानी के 8000 रूपये दोगे। फिर कहा

कि पैसे अभी सामने वाले ई मित्र से ऑन लाईन ट्रांसफर कर दो वहां से मुझको नकद लाकर दे दो तो तुम्हारा काम हो जायेगा तथा उन्होने मेरी पत्नी व मेरे मित्र की पत्नी सोनम के नाम की दोनो मूल रजिस्ट्री उनके पास रख ली तथा उन्होने कहा की 8000 रूपये दोगे तभी तुम्हारी ये मूल रजिस्ट्रियां ले जाना। इसके बाद मेरे दोस्त श्री दिनेश शर्मा से भी मैंने इस सम्बन्ध में बातचीत तो उन्होने भी रिश्वत राशि लेते हुए पकड़वाने की कार्यवाही करवाने की सहमति दी थी। परिवादी श्री अंकित रांकावत ने बताया कि रिश्वत राशि मांगने के तुरन्त बाद ही रूपये ई-मित्र वाले को ऑनलाईन डलवाकर वहां से रूपये प्राप्त करने के बाद वह लेती है इसलिये मांग सत्यापन के बाद तुरन्त ही रूपये लेती है। उक्त पटवारी प्रियन्का जी बहुत ही भ्रष्ट है तथा बिना रिश्वत राशि लिये कोई भी काम नही करते है। उक्त दरियाफत पर मामला रिश्वत राशि माग सत्यापन कराये जाना पाया गया। इस पर परिवादी श्री अंकित रांकावत ने बताया कि मैं उदयपुर में कोचिंग क्लासेज में टीचर हू तथा मैंने आज का अवकाश नही लिया है इसलिये मैं अभी व्यस्त हू तथा कार्यवाही के लिये कुछ समय बाद में या कल दिनांक 08.05.2025 को उपस्थित हो जाउंगा। इस पर परिवादी को आवष्यक हिदायत देकर रूखसत जाकर समय करीब 5.40 पी. एम. पर परिवादी श्री अंकित रांकावत ने बताये अनुसार मांग सत्यापन के पश्चात शीघ्र ही कार्यवाही करवाया जाने से दो स्वतन्त्र गवाहान की ब्यूरो कार्यालय में तलबी हेतु आज जरिये पत्रांक 794 दिनांक 07.05.2025 से श्री मुनीर मोहम्मद सहायक उप निरीक्षक को आवश्यक हिदायत कर श्रीमान् निदेश्क निदेशालय खान एवं भूं विज्ञान विभाग, उदयपुर के लिए रवाना गया गया। तत्पश्चात् समय करीब 6.00 पी.एम. पर श्री मुनीर मोहम्मद सहायक उप निरीक्षक पुनः उपस्थित कार्यालय आकर बताया कि मैं ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर निदेशालय खान एवं भूं विभाग, उदयपुर के कार्यालय में पहुच ब्यूरो द्वारा प्रेषित पत्र पेश किया गया। जिस पर कार्यालय निदेशालय खान एवं भूं विज्ञान विभाग, उदयपुर के पत्रांक 00926 दिनाक 07.05.2025 से गवाह श्री मोहनलाल भील पुत्र श्री सुन्दरलाल जी भील उम्र 37 वर्ष निवासी देवाली गोवर्धनलास उदयपुर हाल कनिष्ठ सहायक व श्री विक्रमसिंह पुत्र श्री गोवर्धनसिंह उम्र 45 वर्ष निवासी 95 ए. प्रतापविहार करधनी कालबा रोड़ जयपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी निदेशालय खान एवं भूं विज्ञान विभाग उदयपुर ब्यूरो में गवाहान के रूप में उपस्थित हेतु पाबन्द करने पत्र प्राप्त हुआ, जिसे लेकर कार्यालय हाजिर आया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात् समय करीब 6.15 पी.एम. पर स्वतन्त्र गवाहान के रूप में श्री मोहनलाल भील पुत्र श्री सुन्दरलाल जी भील उम्र 37 वर्ष निवासी देवाली गोवर्धनलास उदयपुर हाल कनिष्ठ सहायक व श्री विक्रमसिंह पुत्र श्री गोवर्धनसिंह उम्र 45 वर्ष निवासी 95 ए. प्रतापविहार करधनी कालबा रोड़ जयपुर हाल प्रशासनिक अधिकारी निदेशालय खान एवं भूं विज्ञान विभाग उदयपुर उपस्थित आये जिन्हे मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा मन्तव्य से अवगत कराते हुए उन्हे कार्यालय में तलब करने पर शीघ्र ही उपस्थित होने हेतु पाबन्द करवाकर रूखसत किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 08-5-2025 समय करीब 10.50 ए. एम. पर परिवादी श्री अंकित रांकावत पुत्र श्री सम्पतकुमार उम्र 35 वर्ष निवासी गांव सुजानगढ़ जिला चूरू हाल निवासी मकान नम्बर सी-16 आदर्शनगर यूनिवर्सिटी रोड़ उदयपुर उपस्थित आये जिन्होने बताया कि प्रियन्का पटवारी करीब 12 बजे बाद ही पटवार कार्यालय लोयरा में आती है। इस पर परिवादी को कार्यालय में सुरक्षित बिठाया गया है। चूंकि परिवादी श्री अंकित रांकावत द्वारा बताये गये हालात अनुसार मांग सत्यापन के तुरन्त बाद रिश्वत राशि मंगवाती है एैसी स्थिति में समय अभाव के हालातों के मध्यनजर रखते हुए कार्यवाही शीघ्र किया जाना पाया जाता है। परिवादी को कार्यालय में सुरक्षित बिठाया गया। श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र. नि. ब्यूरो उदयपुर को ट्रेप कार्यवाही में चौकी स्टाफ के दो कार्मिकों को भिजवाने हेतु निवेदन किया गया जिस पर उनके निर्देशानुसार श्री मांगीलाल कानि. एवं श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक उपस्थित आये जिन्हे कार्यालय में सुरक्षित बिठाया गया। तत्पश्चात समय करीब 11.00 ए.एम. पर आरोपिया पटवारी महिला होने से जरिये तहरीर पत्रांक 796 दिनांक 08.05.2025 से श्री अजयकुमार कानि. 456 को पुलिस थाना भूपालपुरा जिला उदयपुर से एक महिला कानि. तलबी हेतु रवाना जिस पर समय करीब 11.20 ए.एम. पर श्री अजयकुमार कानि. 456 के साथ तलबी शुदा महिला कानि. रेखा पटेल पुत्री कालूलाल पटेल उम्र 25 वर्ष निवासी मु. पो. पिलादर हाल कानि. नम्बर 2184 पुलिस थाना भूपालपुरा उपस्थित आई जिन्हे कार्यालय में सुरक्षित बिठाया गया। तत्पश्चात समय करीब 11.25 ए.एम. पर तलबी शुदा स्वतन्त्र गवाहान के रूप में श्री मोहनलाल भील कनिष्ठ सहायक व श्री विक्रमसिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी निदेशालय खान एवं भूं विज्ञान विभाग उदयपुर उपस्थित आये जिन्हे कार्यालय में सुरक्षित बिठाया गया। तत्पश्चात् समय करीब 11.30 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित गवाहान श्री मोहनलाल भील कनिष्ठ सहायक व श्री विक्रमसिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी निदेशालय खान एवं भूं विज्ञान विभाग उदयपुर व परिवादी श्री अंकित रांकावत का आपस में परिचय करवाया गया तथा मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनो गवाहान से प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही मे बतौर स्वतन्त्र गवाहान उपस्थित रहने बाबत् सहमति चाही गई जिस पर दोनो गवाहान ने अपनी-अपनी मोखिक सहमति व्यक्त की तथा परिवादी श्री अंकित रांकावत की रिपोर्ट दिनांक 07-05-25 को दोनो गवाहान के समक्ष पढ़कर सुनाई गई तो परिवादी ने शब्द-ब-शब्द सही होना मान रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर अंकित होना जाहिर किया। तत्पष्चात् समय करीब 12.15 पी. एम. पर परिवादी श्री अंकित रांकावत को उसकी निजी वाहन से पटवार कार्यालय लोयरा से पहले रोड़ पर रूकने की हिदायत देकर रूखसत किया गया तथा श्री दलपतसिंह सहायक प्रषासनिक अधिकारी, श्री अजयकुमार कानि. व श्री लक्ष्मणसिंह क.स. को निजी वाहन से परिवादी की कार के पिछे-पिछे रवाना किया तथा श्री मुनीर मोहम्मद सहायक उप

निरीक्षक, दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री विक्रमसिंह, श्री मोहनलाल, महिला कानि. रेखा पटेल के साथ मन् पुलिस निरीक्षक डॉ. सोनू शेखावत व श्री मांगीलाल कानि. मय लेपटोप व प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स मय फिनोल्फथलीन पाउडर की शीशी सहित जरिये प्राईवेट वाहन से ब्यूरो कार्यालय इन्टें उदयपुर से लोयरा उदयपुर की ओर रवाना होकर समय करीब 12.45 पी.एम. पर लोयरा गांव के पास सड़क पर परिवादी श्री अंकित रांकावत जो कार से खड़े थे जिनको पास बुलाकर ट्रेप बॉक्स में पड़े डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालु व बन्द करने की समझाईश दी गई तथा श्री दलपतसिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी को परिवादी के साथ जाकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही कर महिषा होटल के पास लोयरा की तरफ उपस्थित होने की हिदायत देकर रूखसत किया गया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान उक्त स्थान से महिषा होटल के पास लोयरा के लिये जरिये प्राईवेट वाहन से खडे हुए जहा पर पर मन् पुलिस निरीक्षक डॉ. सोनू शेखावत मय दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्य सहित लोयरा गांव के पास सड़क से रवाना शुदा महिषा होटल के पास लोयरा की तरफ पहुचे तथा वाहन को एक तरफ खड़ा कर मुकीम रहे। तत्पश्चात् समय करीब 1.15 पी.एम. पर परिवादी श्री अंकित रांकावत व उसके साथ श्री दलपतसिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित आये। परिवादी श्री अंकित रांकावत ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड पेश कर बताया कि मैं व दलपतसिंह लोयरा गांव से सड़क से रवाना शुदा पटवार कार्यालय लोयरा जो कि किराये के भवन में संचालित है उसमे पहले पहुचे तथा श्री दलपतसिंह ने मुझे डिजिटल टेप रिकॉर्ड रिश्वत राशि मांग सत्यापन कार्यवाही हेतु समय करीब 12.48 पी.एम. पर चालु कर सुपुर्द तत्पश्चात् मैं रवाना होकर पटवार भवन लोयरा में पटवारी प्रियन्का जी के पास गया तथा श्री दलपतसिंह पटवार कार्यालय भवन के बाहर ही एक तरफ खड़े रहे। मैंने प्रियन्का जी पटवारी से मेरी पत्नी विजेता जोशी व मेरे दोस्त दिनेश शर्मा की पत्नी सोनम गौतम के कृषि भूखण्डों का नामान्तरण खोलने व उसकी नकल प्रतियां व उक्त दोनो भूखण्डों की मूल रजिस्ट्री देने के बारे में बातचीत की तो उन्होने मुझसे उक्त दोनो भूखण्डों के नामान्तरण का कार्य करने व उसकी नकल बनाकर देने तथा मूल रजिस्ट्री लोटाने की एवज में प्रति भूखण्ड चार हजार रूपये के हिसाब से कुल आठ हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग की है तथा उनसे हुई वार्ता अनुसार रिश्वत राशि पास ही स्थित ई-मित्र एस.बी.आई. कियोस्क वाले के ऑनलाईन ट्रान्सफर कर आठ हजार रूपये वहां से प्राप्त कर लाने हेतु कहा है जिस पर मैं प्रियन्का जी पटवारी के कार्यालय भवन से बाहर निकलकर लोयरा मुख्य सड़क पर संचालित ई-मित्र एस.बी.आई. कियोस्क वाले के वहां गया और ई-मित्र संचालक ने मुझसे ऑनलाईन राशि निकालने के लिये भी शुल्क हेतु कहा तत्पश्चात् मैंने मेरे मोबाईल नम्बर मे प्रियन्का जी पटवारी के मोबाईल नम्बर पर समय 01.02 पी.एम. पर कॉल कर उनको ई-मित्र वाले द्वारा ऑनलाईन पैसा निकालने की एवज में शुल्क वसूलने के लिये कहा तो प्रियन्का पटवारी ने मुझे कहा कि वो मैं नही जानती हूँ मुझे मेरा आठ हजार चाहिये उसके बाद मैंने उनको रूपये की व्यवस्था कर कुछ समय में लाने के बारे में कहा गया उसके बाद मैं वहां से कुछ दूरी पर रूका तथा दलपतसिंह भी मेरे पिछे-पिछे मेरे पास आये और मैंने उनको डिजिटल टेप रिकॉर्डर दिया जो उन्होने लेकर उसे बन्द किया तत्पश्चात् मैं व श्री दलपतसिंह गांव लोयरा मुख्य सड़क मे रवाना होकर आपके पास आये। परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद श्री दलपतसिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी ने भी की। चूंकि परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों के अनुसार अग्रिम कार्यवाही शीघ्र ही किया जाने से डिजिटल टेप रिकॉर्डर को दोनों गवाहान के समक्ष मांग सत्यापन के दौरान् परिवादी व संदिग्ध प्रियन्का पटवारी के मध्य हुई वार्ता को सुना गया तो रिश्वत राशि की मांग सत्यापन होना पाया गया। डिजिटल टेप रिकॉर्डर को सरकारी लेपटॉप से कनेक्ट कर मांग सत्यापन के दौरान् हुई वार्ता को सुरक्षित सेव किया गया। समय अभाव के कारण रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट पृथक से मुर्तिब की जायेगी। परिवादी ने बताया कि पटवारी प्रियन्का बहुत ही भ्रष्ट और चालाक है इसलिये वह रिश्वत की राशि ऑनलाईन ई-मित्र वाले के ट्रान्सफर करवाकर वहां से पैसे निकलवाकर शीघ्र ही लेती है और मुझे अभी ई-मित्र वाले के ऑनलाईन ट्रान्सफर भी नही करने थे बल्कि मुझे रिश्वत राशि लेते हुए पकड़वाने की कार्यवाही करवाने के कारण मैंने प्रियन्का नलवाया पटवारी को कुछ समय बाद रिश्वत राशि लेकर आने हेतु कहा था। परिवादी ने बताया कि प्रियन्का पटवारी की मांग के अनुसार आठ हजार रूपये रिश्वत राशि की व्यवस्था मे करके लाया हू जो अभी मेरे पास है जिस पर उपरोक्त गवाहन के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री अंकित रांकावत से आरोपीया श्रीमती प्रियंका नलवाया, पटवारी को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से 500- 500 रूपये के 16 नोट कुल 8,000/- आठ हजार रूपये भारतीय चलन मुद्रा के करेन्सी नोट पेश किये। उपरोक्त सभी नोटो पर श्री मांगीलाल कानि. नम्बर 215 भ्रनिब्यूरो उदयपुर से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी जो प्राईवेट/निजी वाहन में रखे ब्यूरो इकाई इन्टे के ट्रेप बॉक्स मे मगवाया जाकर अखबार बिछाकर अखबार पर उपरोक्त समस्त नोटों के दोनों ओर फिनोफ्थलीन पाउडर श्री मांगीलाल कानि. नम्बर 215 भ्रनिब्यूरो उदयपुर से लगवाया जाकर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार स्वतंत्र गवाहान श्री विक्रम सिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी से परिवादी श्री अंकित रांकावत की पहनी हुई जीन्स की पेन्ट के आगे की बायीं जेब की तलाशी लिवाई गई तो कोई वस्तु नहीं पायी गई तथा उक्त पहनी पेन्ट के आगे की बायी जेब में कोई शै: न छोड़ते हुये श्री मांगीलाल कानि. से रखवाये गये। तत्पश्चात् श्री मुनीर मो. सहायक उपनिरीक्षक से ट्रेप बॉक्स में रखे एक प्लास्टिक की पारदर्शी गिलास निकलवाई जाकर पानी की बोतल से साफ पानी भरवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया जाकर गवाहान एवं परिवादी को

दिखाया गया तो उन्होनें घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री मांगीलाल कानि. नम्बर 215 भ्रनिब्यूरो उदयपुर की उंगलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपीया द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगी तो नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उनकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपीया ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री मांगीलाल कानि. नम्बर 215 भ्रनिब्यूरो उदयपुर से बाहर खुले स्थान पर फिकवाया गया तथा अखबार एवं डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट किया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री मांगीलाल कानि. नम्बर 215 भ्रनिब्यूरो उदयपुर के पास सुरक्षित रखने की हिदायत देते हुये पुनः कार्यालय रवाना किया गया। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपीया के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रर्देशन न करे, तथा रिश्वती राशि दे चुकने के बाद अपने सिर पर हाथ फैरकर गोपनीय निर्धारित ईशारा करें। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपीया के मध्य रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करे एवं परिवादी श्री अंकित रंकावत को ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड देते हुए हिदायत दी गई कि वह रिश्वती राशि के लेन-देन के वक्त आरोपीया से होने वाली वार्तालाप को टेप करें। परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये । उक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तीब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामील कार्यवाही की गई। ट्रेप दल को सुविधानुसार अपने अपने फोन प्रयोग में लेने की हिदायत दी गई। ट्रैप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाले चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबून से दो बार धुलवाया गया तथा श्री मांगीलाल कानि. को फिनोल्फथलीन पाउडर की शीषी सुपुर्द कर मौके से ब्यूरो कार्यालय इन्टे उदयपुर के लिये रूखसत किया गया। तत्पश्चात् समय करीब 1.38 पी.एम. पर परिवादी श्री अंकित रांकावत के साथ श्री दलपतसिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी को उसकी निजी वाहन से पटवार कार्यालय लोयरा से पहले रोड़ पर रूकने की हिदायत देकर रूखसत किया गया तथा श्री अजयकुमार कानि. व श्री लक्ष्मणसिंह क.स. को निजी वाहन से परिवादी की कार के पिछे-पिछे रवाना किया तथा श्री मूनीर मोहम्मद सहायक उप निरीक्षक, दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री विक्रमसिंह, श्री मोहनलाल, महिला कानि. रेखा पटेल के साथ मन् पुलिस निरीक्षक डॉ. सोनू शेखावत मय लेपटोप व प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स मय फिनोल्फथलीन पाउडर की शीशी सहित जरिये प्राईवेट वाहन से महिषा होटल के पास लोयरा से पटवार कार्यालय लोयरा की ओर रवाना होकर समय करीब 1.42 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान महिषा होटल के पास लोयरा से रवाना शुदा पटवार कार्यालय लोयरा से पहले मुख्य सड़क के पास रूके तथा मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देषानुसार श्री दलपतसिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी ने परिवादी श्री अंकित रांकावत को डिजिटल टेप रिकॉर्ड रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु चालु कर सुपुर्द कर पार्क के पास पटवार कार्यालय लोयरा के लिये रूखसत किया गया तथा प्राईवेट वाहन व निजी वाहन को साईड में खड़ा करा मन् पुलिस निरीक्षक एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान, ब्यूरो स्टाफ के सदस्य परिवादी के गोपनीय इशारे के इन्तजार में रहे। तत्पश्चात् समय करीब 1.50 पी.एम. पर परिवादी श्री अंकित रांकावत ने पटवार कार्यालय लोयरा से बाहर निकलकर मुख्य सड़क के पास आकर खड़े होकर अपने सिर पर हाथ फैरकर रिश्वती राशि स्वीकारोक्ति का पूर्व निर्धारित ईशारा करने पर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो के जाप्ता सहित परिवादी के पास पहुंचे तो परिवादी ने रिश्वती राशि के लेनदेन के वक्त हुई वार्तालाप जिसे परिवादी के द्वारा ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की, उस डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को को देने पर टेप रिकॉर्डर को बंद कर सुरक्षित हालात में मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पास रख लिया। तत्पश्चात परिवादी ने बताया कि अभी-अभी प्रियन्का नलवाया पटवारी ने मेरे से मेरी पत्नी विजेता जोशी व मेरे दोस्त दिनेश शर्मा की पत्नी सोनम गौतम के नाम के कृषि भूखण्डों की अलग-अलग मूल रजिस्ट्री आठ हजार रूपये लेने के बाद मुझे लोटा दी तथा दोनों भूखण्डों का नामान्तरण की अलग-अलग नकल प्रतियां भी उनके द्वारा बनाकर दे दी है जो मेरे पास ही है। इस पर परिवादी के साथ मन् पुलिस निरीक्षक मय उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो का जाप्ता के साथ किराये के भवन में संचालित पटवार कार्यालय लोयरा में प्रवेश किया तो उक्त भवन में बने एक कक्ष में परिवादी की निषादेही से प्रवेष किया तो कक्ष में एक महिला कुर्सी पर बैठी हुई थी जिसके सामने टेबल पर अन्य पत्रावलियां व दस्तावेज रखे हुए थे। उक्त महिला की ओर परिवादी ने ईषारा कर बताया कि यही प्रियन्का नलवाया पटवारी लोयरा है जिन्हे मन् पुलिस निरीक्षक तथा स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रैप पार्टी के सदस्यों का परिचय देते हुए अपना परिचय पत्र दिखाते हुए अपने आने के मन्तव्य से अवगत करा आरोपिया से उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्रीमती प्रियन्का पत्नी श्री मनीष नलवाया उम्र 38 वर्ष निवासी सेक्टर 14 एस. ब्लॉक 2, 396 गोवर्धन विलास उदयपुर हाल पटवारी पटवार मण्डल लोयरा उदयपुर होना बताया तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उपस्थितिन के समक्ष

आरोपिया श्रीमती प्रियन्का से पूछा गया कि आपने अभी-अभी कुछ समय पूर्व परिवादी श्री अंकित रांकावत से आठ हजार रूपये रिश्वत राशि किस बात के लिये लिये है के संबंध में पुछने पर श्रीमती प्रियन्का पटवारी ने घबराते हुए हाथ जोड़ने लगी की मुझे माफ कर दो मेरा कुछ दिनों में प्रमोषन होना वाला है तथा कहा कि मैंने तो इनका नामान्तरण खोल दिया है। इस पर रिश्वत राशि आठ हजार रूपये के बारे में पुछा तो उसने सामने स्थित टेबल पर रखे कागज जिसकी ओर ईशारा कर राशि के बारे में बताया। प्रिन्यका पटवारी ने बताया कि मुझे तो पता नही है इन्होने ही यह रूपये रख दिये होंगे। इस पर परिवादी श्री अंकित रांकावत ने बताया कि श्रीमती प्रियन्का पटवारी झूंठ बोल रही है तथा आज से करीब 7-8 माह पूर्व में पटवार हल्का लोयरा में हाथीधरा क्षेत्र मे मेरी पत्नी विजेता जोशी व मेरे दोस्त (रिष्तेदार) की पत्नी सोनम गौतम के नाम से अलग-अलग कृषि भू-खण्ड 1000-1000 वर्गफिट के क्रय किये गये गए थे। जिसकी रजिस्ट्री भी करवा चूके है। उक्त कृषि भूखण्ड का नामांतरण खुलवाने हेतु मैं मेरी पत्नी व मेरे दोस्त की पत्नी सोनम गौतम के अलग रजिस्ट्री की फोटो कॉपी लेकर पटवार हल्का लोयरा में पटवारी प्रियन्का जी से 15-20 दिन पूर्व उनसे जाकर मिला और दोनो भू-खण्डों की रजिस्ट्री की फोटो प्रतियां उनको दी तथा नामान्तरण के लिये कहा तो उन्होने मुझे कहा कि दोनों भू-खण्डों का नामांतरण तब ही खुलेगा। जब आप मुझे खर्चे पानी के दोनो रजिस्ट्री के 8000 रू. दोगे। इस पर मैंने उनको काफी निवेदन किया फिर भी उन्होने कहा कि तुम पैसे अभी सामने स्थित ई-मित्र वाले के ऑनलाईन ट्रान्सफर कर दो और वहां से नगद लाकर मुझे दे दो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। नही तो ये रजिस्ट्रीयां यही पड़ी रहेगी। उन्होने मेरी पत्नी व मेरे दोस्त दिनेष शर्मा की पत्नी सोनम गौतम के काम की मूल रजिस्ट्रीयां भी उनके पास रख ली तथा कहा कि 8000 रू. दोगे तब ही तुम्हारा काम करके ये रजिस्ट्रीयां दूंगी। मेरे दोस्त श्री दिनेष शर्मा ने भी पटवारी प्रियन्का के विरूद्ध कार्यवाही कराने की मुझे अपनी सहमति दी है। जिस पर मैंने आपके कार्यालय में मेरे द्वारा दिनांक 07.05.2025 को उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट दी थी जिस पर अग्रिम कार्यवाही करते हुए अभी कुछ समय पूर्व भी इन्होने रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान् मेरे से आठ हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई। इनकी मांग के मुताबिक मैंने अभी-अभी कुछ समय पूर्व इनको रिश्वत राशि आठ हजार रूपये दिये जो इन्होने लेकर अपने हाथों से गिनकर सामने स्थित टेबल पर रखे कागज पर रख दिये थे। उसके बाद मुझे मेरी पत्नी विजेता जोशी व मेरे दोस्त दिनेश शर्मा की पत्नी सोनम गौतम के नाम की अलग-अलग मूल रजिस्ट्री दी थी तथा दोनों के नामान्तरण की नकले भी इन्होने तैयार कर मुझे दी है जो मेरे पास ही है। इस पर श्रीमती प्रियन्का पटवारी ने बार-बार हाथ जोड़कर कहा कि माफ कर दो गलती हो गई है। आरोपिया श्रीमती प्रियन्का पटवारी की निशादेही से उसके द्वारा टेबल पर रखे एक कागज पर 500-500 रूपये के नोट रखे हुये थे, उक्त नोटो को स्वतन्त्र गवाह श्री मोहनलाल से उक्त नोट उठवाये गये तथा नोटों का मिलान स्वतन्त्र गवाहान से पूर्व में मुर्तिब फर्द पेशकशी से करवाया गया तो नोटों के नम्बर का मिलान हूबहू होना पाया गया उक्त रिष्वती राषि आठ हजार रूपये को गवाह श्री मोहनलाल के पास सुरक्षित रखवाये गये। प्रकियानुसार श्रीमती प्रियन्का पटवारी के दोनो हाथों के धोवन लिया जाना वांछित होने से श्री अजयकुमार कानि. 456 से वाहन में से ट्रैप बॉक्स मंगवाया जाकर ट्रैप बॉक्स में से दो प्लास्टिक के पारदशि साफ गिलास निकलाकर आरोपिया के उक्त कक्ष में रखे साफ पानी में से उक्त पारदर्षी गिलासों में साफ पानी भरवाकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया। उक्त पारदर्षी प्लास्टिक के गिलास के रंगहीन घोल में आरोपिया श्रीमती प्रियन्का के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ। जिसे कांच की दो साफ शीशीयों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद श्री मुनीर मोहम्मद हैड कानि. से कराये जाकर मार्क RH-1 व RH-2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे पारदर्षी प्लास्टिक के गिलास के रंगहीन घोल में आरोपिया श्रीमती प्रियन्का के बाये हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ। जिसे कांच दो साफ शीशीयो में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद श्री मुनीर मोहम्म्द हैड कानि. से कराये जाकर मार्क LH-1 व LH-2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। प्रकियानुसार रिश्वत राशि बरामदगी स्थल टेबल पर रखे कागज से बरामद हुई है जिसका धोवन लिया जाना आवष्यक होने से ट्रैप बॉक्स में से एक प्लास्टिक के पारदर्षी साफ गिलास निकलाकर आरोपिया के उक्त कक्ष में रखे साफ पानी में से उक्त पारदर्षी गिलासों में साफ पानी भरवाकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया। उसके बाद रिश्वत राशि बरामगी कागज के उपर स्वतन्त्र गवाह श्री विक्रमसिंह से उक्त गिलास के रंगहीन घोल में कपड़े की छिदीं को भीगोकर उक्त भीगी हुई छिदीं को कागज पर घुमवाकर छिदीं को पुनः सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर के भरे गिलास के घोल में धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का गुलाबी झांईदार हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद श्री मुनीर मोहम्मद सहायक उप निरीक्षक से कराये जाकर मार्क T-1 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा कागज जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई थी जिसके सुखने के पश्चात देखा गया तो उक्त कागज के उपर मौका पर्चा मौजा उदयपुर व दिनांक 6/5/25 अंकित होकर अन्य लिखावट अंकित है जिस पर रिश्वत राशि जिस स्थान मे बरामद हुई उस पर गोले का आकार बनाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर नियमानुसार सिलचिट बंद श्री मुनीर मोहम्मद सहायक उप निरीक्षक से कराये जाकर मार्क WP अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये

आरोपिया श्रीमती प्रियन्का पटवारी की निषादेही से उसके द्वारा टेबल पर रखे एक कागज पर 500-500 रूपये के नोट रखे हुये थे, उक्त नोटो को स्वतन्त्र गवाह श्री मोहनलाल से उक्त नोट उठवाये गये तथा नोटों का मिलान स्वतन्त्र गवाहान से पूर्व में मुर्तिब फर्द पेशकशी से करवाया गया तो नोटों के नम्बर का मिलान हूबहू होना पाया गया उक्त रिष्वती राषि आठ हजार रूपये को गवाह श्री मोहनलाल के पास सुरक्षित रखवाये गये थे जिन्हे पेष करने हेतु कहा जिस पर गवाह श्री मोहनलाल ने अपने पास सुरक्षित रखी राषि 500-500 रूपये के 16 नोट कुल 8000 रूपये पेष किये जिसके नम्बरों का पुनः मिलान करवाया गया तो मिलान हुबहु हुए। उपरोक्त बरामद रिश्वती राशि 8000 रूपये को एक सफेद कागज की चिट लगाकर श्री मुनीर मोहम्मद सहायक उप निरीक्षक से सिलचिट बन्द करा मार्क N अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर नियमानुसार कब्जे ब्यूरों लिये गये। इसके पश्चात् दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष आरोपिया श्रीमती प्रियन्का पटवारी को परिवादी श्री अंकित रांकावत के पत्नी विजेता जोशी व उसके मित्र श्री दिनेश शर्मा की पत्नी सोनम गौतम के नाम की रजिस्ट्री की फोटो प्रतिया परिवादी द्वारा पेश की गई जिस आपके द्वारा क्या कार्यवाही की गई है तथा उक्त रजिस्ट्री दस्तावेज के बारे में पुछा तो उमने बताया कि मेरे द्वारा दोनो रजिस्ट्रीयों का ऑनलाईन नामान्तरण 27.04.2025 को कर दिया था जिसके रजिस्ट्री फोटो प्रतियां पेश की गई जिमका अवलोकन किया गया तो पाया कि एक रजिस्ट्री दस्तावेज पर श्रीमती विजेता जोषी पत्नी अंकित रांकावत द्वारा विक्रेता श्री आनंद लाहिरी पिता मानाबेश लाहीरी व श्रीमती मन्दाकिनी सी. लाहिरी पत्नी श्री आनन्द लाहीर से जरिये रजिस्ट्री दिनांक 16.07.2024 को 1000 वर्गफिट का कृषि भूखण्ड क्रय करना पाया गया उक्त रजिस्ट्री दस्तावेज के पृथक व अन्तिम पृष्ठ पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। इसी प्रकार दूसरे रजिस्ट्री दस्तावेज का अवलोकन किया गया तो क्रेता श्रीमती सोनम गौतम पत्नी दिनेष कुमार द्वारा विक्रेता श्रीमती कमला कुंवर पत्नी श्री देवेन्द्रसिंह से जरिये रजिस्ट्री दिनांक 27.06.2024 को 1000 वर्गफिट का कृषि भूखण्ड क्रय करना पाया गया उक्त रजिस्ट्री दस्तावेज के पृथक व अन्तिम पृष्ठ पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। परिवादी श्री अंकित रांकावत को उक्त दोनों भूखण्डों के नामान्तरण की नकल प्रतिया देने के सम्बन्ध में संधारित रजिस्टर के बारे में श्रीमती प्रियन्का नलवाया को पुछा गया तो उसके द्वारा पटवार हल्का लोयरा का पी-35 रजिस्टर पेश किया जिसका अवलोकन किया गया तो श्रीमती प्रियन्का नलवाया द्वारा आज दिनांक 08.05.2024 को अंकित रांकावत को दी गई नामान्तरण की नकल का इन्द्राज होना पाया गया तत्पष्चात् उक्त रजिस्टर में अंकित विवरण पृष्ठ की फोटो प्रति करवाकर अन्तिम पृष्ठ पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर उसे कब्जे ब्यूरो लिया गया। परिवादी श्री अंकित रांकावत को मूल रजिस्ट्रीयां जो रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात् श्रीमती प्रियन्का नलवाया ने दी थी जिन्हे पेश करने हेतु कहा तो श्री अंकित रांकावत ने उक्त दोनो मूल रजिस्ट्री पेश की गई जिसका अवलोकन किया गया तो आरोपिया के कब्जे से बरामद शुदा रजिस्ट्री की फोटो प्रतियां व मूल रजिस्ट्रीयों का मिलान हूबहू होना पाया गया तत्पष्चात् मूल रजिस्ट्रीयां परिवादी श्री अंकित रांकावत को सुपुर्द की गई। श्री अंकित रांकावत द्वारा अपने व उसके दोस्त की पत्नी के नाम से क्रय शुदा भूखण्डों की नकले जो श्रीमती प्रियन्का नलवाया द्वारा रिश्वत राशि देने के बाद दी गई थी जिन्हे पेश की गई जिसका अवलोकन किया जाकर उक्त अलग-अलग नकलों पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। रिश्वती राशि के मांग सत्यापन एवं लेनदेन के वक्त परिवादी तथा आरोपिया के मध्य जो वार्तालाप रिकॉर्ड की गयी, को उपस्थितिन के समक्ष सुनाई गई तो परिवादी तथा आरोपिया श्रीमती प्रियन्का नलवाया पटवारी ने अपनी-अपनी आवाज होना स्वीकार किया। उक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब की गई जिस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् आरोपिया श्रीमती प्रियंका नलवाया पटवारी पटवार हल्का लोयरा जिला उदयपुर को उनके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार आरोपिया श्रीमती प्रियंका नलवाया पटवारी पटवार हल्का लोयरा जिला उदयपुर द्वारा परिवादी श्री अंकित रांकावत की पत्नी श्रीमती विजेता जोषी व उसके दोस्त श्री दिनेष शर्मा की पत्नी श्रीमती सोनम गौतम के नाम पर क्रय शुदा कृषि भूखण्ड का नामान्तरण खोलने एवं मूल रजिस्ट्री लोटाने की एवज में आठ हजार रूपये रिश्वत राशि मांग की गई। जिस पर दौराने् ट्रेप कार्यवाही दिनांक 8.05.2025 को श्रीमती प्रियन्का नलवाया पटवारी द्वारा पटवार कार्यालय लोयरा में आठ हजार रूपये रिश्वत राशि ग्रहण करते हुए रंगे हाथो पकडा जाकर गिरफतार किया जाकर उक्त आरोपिया के विरूद्व जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनिमय 1988 (यथा संशोधित-2018) प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः श्रीमती प्रियंका नलवाया पटवारी पटवार हल्का लोयरा जिला उदयपुर के विरूद् जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित-2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन मुख्यालय प्रेषित है। भवदीय, (डां. सोनू शेखावत) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इन्टे, उदयपुर।......................कार्यवाही पुलिस................प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट डां. सोनू शेखावत,पुलिस निरीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इन्टे, उदयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपिता श्रीमती प्रियन्का पत्नी श्री मनीष नलवाया उम्र 38 वर्ष निवासी सेक्टर 14 एस. ब्लॉक 2, 396 गोवर्धन विलास उदयपुर हाल पटवारी पटवार मण्डल लोयरा उदयपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री लक्ष्मण लाल डांगी, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. उदयपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचा आम रपट संख्या 162 पर अंकित

है। (डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 656-59 दिनांक 09.5.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर, 2.जिला कलक्टर उदयपुर। 4-उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर 5.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टे, उदयपुर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**
or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** LAXMAN LAL DANGI **Rank (पद):** निरीक्षक
No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**
or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 09/05/2025 19:

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	14/11/1986				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है ।)